

FROM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (S.O.) कम्पन्..... मुकाम.....

..... तारो देवी बनाय जगमाल सिंह कोरा

किस्म मुकदमा री-अपिल 111, 128 RLR नं. 06/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
-------------	---------------------------------	---

04 01 / 2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री रतनाराम चौधरी</p> <p>ने यह प्रार्थनी पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR</p> <p>राजस्थान काशतकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08/02/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">7</p>	
08/02/2022	<p>अर्थात् वहील उपस्थित। विप्रार्थी बायतु</p> <p>गणों के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली दिनांक 08/02/2022 को पेश किया गया।</p> <p>विप्रार्थी गणों का कतुड तामिल अनुपस्थित।</p> <p>न्यायालय समय तीन बजे आवज लगाई गई, किन्तु आवज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी गणों तब भी उपस्थित नहीं हुए।</p> <p>उन्होंने कोर्ट के डेई अधिकार उपस्थित नहीं हुए। लिखाजा विप्रार्थी गणों के विरुद्ध एडवोकेट द्वारा वादी अमल में लाई जाली है।</p> <p>किन्तु पत्रावली वास्ते दिनांक - 08/03/2022 को पेश है।</p>	

सहायक कलक्टर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु


हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

तारीख हुक्म

08/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

नं. व. प्रार्थी,
जो इस हुक्म,
तामिल में बावत

कामाक / वाद / 2022 /

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2022/ 109

दिनांक:- 08/03/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. तारो देवी पुत्री तुलछाराम,
जाति दर्जी, निवासी खुमाणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिडा (बाडमेर)

1. जगमालसिंह पुत्र पदमाराम वगैरा 102,
जाति जाट, निवासी खुमाणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह,
तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 06/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - खुमाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल - सवाऊ पदमसिंह, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 255 रकबा 5.3823 हैक्टर एवं मौजा - मेघवालों की ढाणी, पटवार मण्डल - सोहड़ा, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 255 रकबा 5.3823 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2022/

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्रीमति तारो देवी पुत्री तुलछाराम,
4. विप्रार्थी श्री जगमालसिंह पुत्र पदमाराम वगैरा 102,
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक: (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलेक्टर

(SDO) बायतु